

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र/राशिके/शिशि/2020/ 1348

भोपाल दिनांक 16/08/2021

प्रति,

प्राचार्य,

शासकीय प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान, भोपाल एवं जबलपुर
शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
समस्त म.प्र.

विषय:—शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों (02 IASEs, 06 CTEs) में सत्र 2021-22 हेतु एम.एड एवं एम. एड. (विज्ञान) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण।

म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ/44-10/20-2/555 दिनांक 20.06.2019 द्वारा शासकीय प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान/शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय तथा राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान में संचालित एम.एड. एवं एम.एड. (विज्ञान) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश नियम जारी किए गए थे। प्रशासकीय अनुमोदन के अनुक्रम में वर्ष 2021-22 में शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों (02 IASEs, 06 CTEs) की 50 प्रतिशत सीट पर विभागीय एवं शेष 50 प्रतिशत सीट्स पर गैर-विभागीय अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रदान किए जाएंगे।

2/- अधिकार-प्रवेश हेतु आवेदकों के चयन संबंधी नीति निर्धारण करने, नियमों की व्याख्या करने, प्रवेश संबंधी प्रकरणों पर अंतिम निर्णय लेने तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के विनियम 2014 में वर्णित प्रावधानों को छोड़कर प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं प्रवेश प्रक्रिया को परिवर्तित व संशोधित करने का अधिकार राज्य शिक्षा केन्द्र स्कूल शिक्षा विभाग को रहेगा। उसके निर्णय सर्वमान्य एवं बंधनकारी होंगे। गैर-विभागीय अभ्यर्थियों के प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संचालक/आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से विनियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जारी प्रवेश प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त 2021-22 के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

निरंतर.....2/

//2//

ऑनलाईन काउंसलिंग की प्रक्रिया के संचालन हेतु इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप संचालक/आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए जा सकेंगे।

3/- प्रभावशीलता-यह प्रवेश नियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय/प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान में संचालित एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक आवेदकों पर लागू होंगे। मान. सर्वोच्च न्यायालय की याचिका (सिविल) 276/12 एवं इससे संबंधित आई.ए. 8 दिनांक 28.06.2013 में निश्चित किए गए कैलेण्डर के अनुसार प्रवेश की तिथियां निर्धारित है। कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2021-22 में प्रवेश तथा शिक्षण तथा संबंधी तिथियां निर्धारित की गई है।

4/- महाविद्यालयवार सीट्स का विवरण

महाविद्यालय	कुल सीट	विभागीय अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सीट	गैर-विभागीय अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सीट
प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान (IASE) भोपाल (भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ होशंगाबाद जिलों के विभागीय अभ्यर्थी प्रवेश के लिये पात्र होंगे।)	50	25	25
शासकीय अध्यापक-शिक्षा महाविद्यालय खण्डवा सम्मिलित जिले खण्डवा, हरदा, बड़वानी, खरगौन, बुरहानपुर (कुल सीट- 50)	50	25	25
शासकीय अध्यापक-शिक्षा महाविद्यालय छतरपुर सम्मिलित जिले छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी	50	25	25
प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान (IASE) जबलपुर सम्मिलित जिले जबलपुर, मण्डला, नरसिंहपुर, डिण्डौरी, बालाघाट, सिवनी, कटनी, छिंदवाड़ा बैतूल	20	10	10
शासकीय अध्यापक-शिक्षा महाविद्यालय रीवा सम्मिलित जिले रीवा, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली	50	25	25
शासकीय अध्यापक-शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर सम्मिलित जिले ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर	50	25	25
शासकीय अध्यापक-शिक्षा महाविद्यालय उज्जैन सम्मिलित जिले उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, आगर-मालवा, इन्दौर, देवास, धार, झाबुआ अलीराजपुर,	20	10	10
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान (एम.एड. विज्ञान) जबलपुर में सम्मिलित म0प्र0 के समस्त जिले	50	25	25

निरंतर.....3/-

5. प्रवेश हेतु पात्रता -

विभागीय अभ्यर्थियों हेतु -

5.1 इन महाविद्यालयों में एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासकीय सेवारत सभी संवर्ग के शिक्षक/व्याख्याता पात्र होंगे।

5.2 सम्मिलित जिलों के विभागीय अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त न होने अथवा कम प्राप्त होने पर अन्य जिले के पात्र अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा। विभागीय अभ्यर्थियों की उपलब्धता न होने पर गैर-विभागीय अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की जाएगी। प्रत्येक स्थिति में महाविद्यालय में उपलब्ध सभी स्थानों पर प्रवेश प्रदान किया जाएगा।

5.3 शासकीय शिक्षक द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य है।

5.4 विभागीय अभ्यर्थी के लिये एम.एड. पाठ्यक्रम का सत्र प्रारंभ होने के वर्ष की दिनांक 01 जुलाई को अधिकतम आयु 50 वर्ष अथवा उससे कम होना चाहिए।

गैर-विभागीय अभ्यर्थियों हेतु -

5.5 शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में एम.एड. प्रवेश हेतु म.प्र. के मूलनिवासी अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

5.6 गैर-विभागीय अभ्यर्थी प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। इस हेतु प्रवेश प्रक्रिया में अभ्यर्थी को महाविद्यालयों का चयन कर प्राथमिकता निर्धारित करना होगी।

5.7 राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर एम.एड. (विज्ञान) में प्रवेश हेतु केवल विज्ञान स्नातक विभागीय एवं गैर-विभागीय अभ्यर्थी पात्र होंगे।

6. प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता -

गैर-विभागीय अभ्यर्थियों हेतु - राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदंड अनुसार प्रवेश के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ बी.एड./बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड./बी.एल.एड. के साथ स्नातक उपाधि (दोनों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य है।) उत्तीर्ण आवेदक प्रवेश प्रक्रिया हेतु पात्र होंगे। एम.एड. (विज्ञान) पाठ्यक्रम हेतु केवल विज्ञान संकाय के अभ्यर्थी उक्तानुसार पात्र होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति/ओ.बी.सी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में 5 प्रतिशत की छूट रहेगी।

विभागीय अभ्यर्थियों हेतु -

6.1 अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण हों। स्नातकोत्तर हेतु वह विषय मान्य होगा जिस पर अभ्यर्थी की विभाग में नियुक्ति हुई है। एम.एड. (विज्ञान) पाठ्यक्रम हेतु केवल विज्ञान संकाय के अभ्यर्थी उक्तानुसार पात्र होंगे।

6.2 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्ड अनुसार अभ्यर्थी ने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड./बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड./बी.एल.एड. उपाधि में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक विषयों में समग्र रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

6.3 यह आवश्यक है कि आवेदक ने एम.एड. प्रवेश वर्ष की दिनांक 01 जुलाई से बी.एड. उपाधि कम से कम दो वर्ष पूर्व उत्तीर्ण की हो।

6.4 अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय हाईस्कूल/हायर. सेकण्डरी के अतिरिक्त एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त शासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में किया गया अध्यापन का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।

6.5 विभागीय अभ्यर्थी के लिये एम.एड. पाठ्यक्रम का सत्र प्रारंभ होने के वर्ष की दिनांक 01 जुलाई को अधिकतम आयु 50 वर्ष से कम होना चाहिए।

7. आवेदन प्रक्रिया -

प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से प्रवेश संबंधी कार्यवाही करनी होगी। इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं के निवास पर उपलब्ध इंटरनेट सुविधा अथवा एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से निम्नानुसार कार्यवाही कर सकते हैं:-

7.1 पंजीयन- विभागीय एवं गैर-विभागीय अभ्यर्थियों को <https://rsk.mponline.gov.in/> पर ऑनलाईन पंजीयन करना होगा। विभागीय अभ्यर्थियों को पंजीयन प्रपत्र में पदनाम, कार्यरत संस्था एवं जिला की जानकारी अनिवार्य रूप से देना होगी। पंजीयन हेतु एम.पी. ऑनलाईन द्वारा निर्धारित शुल्क अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।

- 7.2 विभागीय अभ्यर्थी पंजीयन उपरांत आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। जिले में प्राप्त कुल आवेदन को सूचीबद्ध कर अभ्यर्थियों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित महाविद्यालय को प्रेषित की जाएगी।
- 7.3 सभी अभ्यर्थियों को पंजीयन के अवसर पर समस्त आवश्यक दस्तावेज यथा कक्षा-10वी, 12वी एवं स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.एड. इत्यादि की अंकसूची एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- 7.4 गैर-विभागीय अभ्यर्थियों को उक्त के साथ ही आवश्यकता अनुसार जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र, म.प्र. का मूलनिवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- 7.5 पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर अभ्यर्थी को एस.एम.एस. के द्वारा जानकारी प्राप्त होगी।
- 7.6 संस्था चयन- विभागीय अभ्यर्थी तालिका में दर्शाए गए जिलों के लिए निर्धारित महाविद्यालय में ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
- 7.7 गैर-विभागीय अभ्यर्थी को पंजीयन के पश्चात् महाविद्यालयों का चयन एवं प्राथमिकता निर्धारण करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया के लिये पंजीकृत अभ्यर्थियों को महाविद्यालय की वरीयता व्यक्त करते हुये प्राथमिकता निर्धारित करना होगी। इस हेतु एम.पी.ऑनलाईन द्वारा निर्धारित शुल्क अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।
- 8 सीट आवंटन-
- 8.1 गैर-विभागीय अभ्यर्थियों अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम में एम.एड. पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होंगे।
- 8.2 गैर-विभागीय अभ्यर्थियों का सीट आवंटन म.प्र.शासन के आरक्षण संबंधी सभी नियमों के आधार पर किया जाएगा। यह आरक्षण निम्नानुसार रहेगा:-

क्रमांक	श्रेणी	प्रतिशत
01	अनुसूचित जाति	16
02	अनुसूचित जनजाति	20
03	अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर छोड़कर)	14
04	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10

(अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण मान. न्यायालय के निर्णयानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।) विभिन्न संवर्गों का क्षैतिजीय (Horizontal) आरक्षण निम्नानुसार रहेगा:-

1. सैनिक संवर्ग के प्रत्याशियों के लिये 03 प्रतिशत।
2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित के लिए 03 प्रतिशत।
3. निःशक्त प्रत्याशियों के लिये 05 प्रतिशत।
4. विधवा/परित्यक्ता के लिये 01 प्रतिशत।
5. महिलाओं के लिये आरक्षण शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत है।

अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित स्थान यदि रिक्त रह जाएंगे, तो वे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जाएंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान रिक्त रहने पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे।

उपरोक्त आरक्षित स्थानों के लिए संबंधित महाविद्यालयों में आवेदकों की वरीयताएँ नहीं होने पर रिक्त रह गये स्थानों पर अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के तौर पर स्थान आवंटन किया जायेगा।

8.3 विभागीय उम्मीदवारों का चयन शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक के आधार पर वरिष्ठता का क्रम होगा। समान नियुक्ति तिथि होने पर अभ्यर्थी की आयु को आधार मानकर अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी।

8.4 सीट आवंटन के आधार पर एम.पी.ऑनलाईन द्वारा अभ्यर्थी के लिए ऑनलाईन अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा एवं पोर्टल पर दर्ज किए गए मोबाईल नंबर पर एस.एम.एस. के माध्यम से इस संबंध में सूचित किया जाएगा।

9. महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया-


9.1 महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर अवधि प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी को आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

9.2 महाविद्यालय को आवंटित अभ्यर्थियों की सूची एम.पी.ऑनलाईन द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। महाविद्यालय उन्हें प्रदान किए गए आई.डी. एवं पासवर्ड के आधार पर उक्त सूची प्राप्त कर सकेंगे।

9.3 अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त होने पर एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल से सीट अलॉटमेंट लेटर प्राप्त होगा।

इस के आधार पर अभ्यर्थी को संबंधित महाविद्यालय में उपस्थित होकर सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन कराना होगा तथा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। महाविद्यालय द्वारा प्रमाण-पत्रों का सत्यापन एवं शुल्क प्राप्त करने पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी एवं स्थान द्वारा संबंधित अभ्यर्थी की सीट लॉक की जाएगी। सीट लॉक होने पर आवेदक का प्रवेश मान्य होगा।


- 9.4 महाविद्यालय द्वारा एम.पी.ऑनलाईन द्वारा उपलब्ध करायी गयी लॉगिन आई.डी. के आधार पर अभ्यर्थियों के प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।
10. शुल्क-शासकीय शिक्षा महाविद्यालय (02 IASEs, 06 CTEs) में प्रवेश उपरान्त राज्य शासन द्वारा निर्धारित शुल्क एवं संबंधित विश्वविद्यालय के समस्त शुल्क देय होंगे। विभागीय अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त पाठ्यक्रम अवधि पूर्ण होने से पूर्व प्रशिक्षण छोड़ने पर, प्रशिक्षण अवधि में हुये वेतन भुगतान एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क की राशि सम्बन्धित शिक्षा महाविद्यालय में जमा करनी होगी।


(धनराजू एस.) 16/08/2021
संचालक

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल
भोपाल दिनांक 16/08/2021

पृष्ठ. क्र/राशिके/शिशि/2020/1399
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मंत्री/राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0 भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल (म0प्र0)।
3. आयुक्त लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र/आदिवासी विकास/उच्च शिक्षा विभाग म0प्र0 भोपाल।
4. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर (म0प्र0)।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण/संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास विभाग (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. मुख्य परिचालन अधिकारी, एम.पी.ऑनलाईन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. समस्त प्राचार्य, डाइट/डी.पी.सी. जिला शिक्षा केन्द्र की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. आई.सी.टी. कक्ष राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर एज्यूकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।


संचालक 16/08/2021
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल